606

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. / R2 - 3363 - I-16

उमाशंकर सोनी पुत्र [illegible] भानू सोनी
ग्राम दिगोडा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़
मध्यप्रदेश ---- आवेदक

बनाम

1. राजेश पुत्र रामसहाय खंगार
2. राजवीर पुत्र रामसहाय खंगार
3. श्रीमती रामदेवी पत्नी स्व. रामसहाय खंगार
4. काशीराम पुत्र छक्कीलाल खंगार
5. रमेश पुत्र छक्कीलाल खंगार
6. श्रीमती मानकुवर पत्नी स्व. रामगोपाल खंगार
7. कु. पूजा पुत्री स्व. रामगोपाल खंगार

अवयस्क संरक्षक माता मानकुवर , सभी निवासी
ग्राम दिगोडा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़
मध्यप्रदेश ------- अनावेदकगण

दिनांक 29.9.16 को श्री राम सेवक शर्मा अभि. द्वारा प्रस्तुत।
97 29-9-16

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.09.16 द्वारा पारित न्यायालय राजस्व मण्डल सदस्य (श्री एम के सिंह) प्र. क्र. आर 468/ थर्ड/2014 उमाशंकर सोनी विरूद्ध राजेश के निर्णय से दुखी होकर -

श्रीमान जी,

निवेदन निम्न प्रकार है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, भूमि खसरा न. 1993, 3479 रकबा 0.534 हे0 लगान 4

3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - रिव्यु-3363-एक/16 **जिला** - टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह रिव्यु इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 468-तीन/2014 में पारित आदेश दिनांक 05.09.16 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 09.09.1993 द्वारा उभयपक्षों के मध्य नामांतरण पंजी पर बंटवारा आदेश पारित किया। जिसके विरुद्ध अनावेदक राजेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनकर एवं नामांतरण पंजी के अवलोकन उपरांत विलंब क्षमा करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई जो तत्कालीन सदस्य ने अपने आदेश दिनांक 05.09.16 द्वारा निरस्त की गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित बहस के दौरान मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि सन् 1993 के नामांतरण के आदेश की जानकारी किस प्रकार हुई, केवल अजानकारी कह देने मात्र से स्थिति स्पष्ट नहीं होती, जबकि अनावेदक एक ही खानदान परिवार के लोग हैं तथा इस कानूनी बिन्दु की अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विवेचना ना कर पक्षपातपूर्ण आदेश में 19 वर्ष के विलंब को माफ किया है तथा इस कानूनी अभिलेखीय भूल को माननीय न्यायालय द्वारा अनदेखा कर रिकॉर्ड के विपरीत आदेश पारित किया है जो कि पुर्नविलोकन का पर्याप्त आधार है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर विचार नहीं	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं ... आदि के ...

किया है कि तहसील न्यायालय का विवादित आदेश दि. 01.09.93 व 23.01.94 सहमति से पारित किए गए हैं व बंटवारा पंजी व नामांतरण पंजी पर अनावेदक क्र. 4 काशीराम, राससहाय व रामगोपाल सभी के हस्ताक्षर हैं। तथा काशीराम द्वारा सहमति के हस्ताक्षर करने के बावजूद प्रकरण को अजानकारी में बताकर अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह किया है तथा इस कानूनी बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया है कि सहमति के आदेश के विरुद्ध अपील संचालन योग्य नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एम.पी.डब्ल्यू.एन. 222 जस्टिस जी.एल. ओझा नानूराम वर्सेस देवी दयाल सन 1978 का न्यायदृष्टांत अवलोकन हो तथा इस संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय आर.एन. 2007 पेज 359 अवलोकन हो। ऐसी स्थिति में पुर्नविलोकन का पर्याप्त आधार है।

4/ अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि नामांतरण पंजी पर बंटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस कारण विचारण न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार रहित होकर अवैधानिक है। और ऐसे अवैधानिक आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने विलंब क्षमा करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। अतः विद्वान तत्कालीन सदस्य द्वारा विधिवत विवेचना उपरांत आदेश पारित किया गया है जो अपने स्थान पर उचित है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर बंटवारा आदेश पारित किया गया है। विद्वान तत्कालीन सदस्य ने न्यायदृष्टांत 1994 आर.एन. 302 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नामांतरण पंजी में बंटवारे काआदेश दिया गया, जबकि बंटवारे का कोई आवेदन नहीं था। बंटवार नियम 2, 3, 6 का

पक्षकारों एवं आदि के हस्ताक्षर

BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - रिव्यु-3363-एक/16 **जिला** - टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

पालन नहीं किया गया, इस कारण ऐसे आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने न्यायदृष्टांत 1975 आर.एन. 243 एवं 1978 आर.एन. 508 को उद्धरित करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को सारहीन मानकर निरस्त् किया है। विद्वान सदस्य द्वारा पारित उक्त् आदेश में ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण उक्त आदेश का पुनरावलोकन आवश्यक हो।

किसी भी मामले का पुनरावलोकन किए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा-51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किया गया है। जिसके अनुसार किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो तत्परता के पश्चात भी पूर्व में आदेश पारित करते समय ज्ञान में नहीं था या कोई ऐसी त्रुटि या भूल जो अभिलेख से प्रकट हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण। इस प्रकरण में उक्त् आधारों में से कोई भी आधार विद्यमान नहीं हैं। दर्शित परिस्थिति में यह पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किया जाता है।

पक्षकार सूचित हों, अभिलेख वापस हो।

(एम.गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य